मदन तथा अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 1058)

11 जुलाई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सथशिवम, जे.जे.]

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 सपठित धारा 149- साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 97 से 105- निजी बचाव का अधिकार- अपीलार्थियों ने मृतक के घर पर रात्रि में प्रवेश किया। उस पर लाठियों से हमला किया गया जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गयी। विचारण न्यायालय ने उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 149 में दोषी ठहराया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनायी। उच्च न्यायालय द्वारा निजी बचाव के अधिकार की याचिका को खारिज कर दिया गया किन्तु साथ ही विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को इस आधार पर परिवर्तित कर दिया कि जिन हालातों में मृतक तथा पीडित गवाह पर हमला हुआ उन हालातों में अपीलार्थी भी घायल हुए। अपील में निर्णय हुआ सबूत बताते हैं कि अपीलार्थी किस स्तर पर अपनी सम्पत्ति की रक्षा और बचाव के अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। किन्तु उसके बाद उन्होंने इस अधिकार को पार कर लिया इसलिए न्यायहित में दण्डादेश को परिवर्तित कर दस वर्ष के कारावास में परिवर्तित कर दिया गया।

साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 97 से 105- निजी बचाव का अधिकार कब उपलब्ध है।

अभियोजन की कहानी यह थी कि मृतक, उसकी पत्नी पी.डब्ल्यू.-2 तथा उसकी बेटी पी.डब्ल्यू.-1 रात को घर के अंदर सो रहे थे। अपीलार्थी अन्य दो अभियुक्तों के साथ घर में घुसे व लकड़ी का दरवाजा तोड़ा और गालियां देते हुए आंगन में पहुंच गये तथा मृतक से कहा कि वह उसे अपनी भैंसों को अपने खेत में ले जाने की अनुमति नहीं देगा और पूछा कि मृतक ने क्यों तहसील कोर्ट में शिकायत दर्ज करवायी उन्होंने उसे धमकी भी दी। उसके पश्चात उन्होंने मृतक पर लाठियों से हमला किया। जब पी.डब्ल्यू.1 तथा पी.डब्ल्यू.-2 ने मृतक को बचाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया। मृतक बेहोश होकर गिर गया तथा पुलिस स्टेशन जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हाे गयी। विचारण न्यायालय ने उसे भा.द.सं. की धारा 302 सपठित धारा 149 तथा 323 सपठित धारा 149 में दण्डित किया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अपील किये जाने पर उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष बताया कि उनके द्वारा निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग किया गया। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को इस तरह परिवर्तित कर दिया गया कि मृतक तथा घायल गवाह पर हमला किया गया था। इसलिए यह अपील उपस्थित हुई है।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

अभिनिर्धारित किया-

1- निजी बचाव के अधिकार की याचिका अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकती है यह निर्धारित करते समय कि क्या अभियुक्त को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है या नहीं यह सुसंगत नहीं है कि गंभीर झगड़ा तथा प्राणघातक इंजरी, आक्रामक हमलावर हमला किये जाने की सम्भावना थी या नहीं यह पता लगाने के लिए कि अभियुक्त की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार था या नहीं। वाकया को ध्यान से परीक्षित किया जाना आवश्यक है। [पैरा 6] [859-जी, 860-ए,बी]

जयदेव बनाम पंजाब राज्य ए.आई.ओर. (1963) 612; रिजान व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, मुख्य सचिव के माध्यम से, सरकार छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़ (2003) 2 एस.सी.सी. 661; सुच्चा सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य (2003) 7 एस.सी.सी. 643; राज पाल व अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2006) 9 एस.सी.सी. 678- पर भरोसा किया गया।

2. उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपीलार्थियों के इस पक्ष को स्वीकार किया अपीलार्थियों ने कहा कि वे निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन साथ ही सबूत भी दर्शाता है कि अपीलार्थियों ने आपराधिक अतिचार किया है। इसलिए, वे अपवाद के लाभ का दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए एेसा कार्य किया है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों के संयुक्त वाचन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साक्ष्य इस आशय के हैं कि आरोपी अपीलकर्ता कुछ स्तर तक अपनी संपत्तियों की सुरक्षा और बचाव के अधिकार का प्रयास कर चुके थे लेकिन इसके बाद वे इसे पार कर आगे बढ़ गए। अत: ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऐसे मामले में जहां अपीलार्थियों को भादंसं की धारा 302 के तहत दोषी ठहराने के बजाय अपीलकर्ता को भादंसं की धारा 304 भाग 1 के तहत दोषी ठहराना उचित होगा जिसके लिए 10 साल की सज़ा न्यायहित में होगी। [पैरा 9,10] [861-सी,डी,ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1058

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर की खंडपीठ की 1997 की आपराधिक अपील संख्या 1246 दिनांक 18.5.2007 के अंतिम निर्णय एवं आदेश से

नवीन कुमार सिंह और अरुणेश्वर गुप्ता, अपीलार्थियों की ओर से-

डॉ. एन. एम. घटाटे, सी. डी. सिंह, मेरुसागर सामंतराय तथा सन्नी चौधरी, प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी गयी है। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए धारा 302 सपिठत धारा 149 भादंसं और धारा 323 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भादंसं) के तहत प्रत्येक अपीलकर्ता को आजीवन श्रम कारावास की तथा व्यतिक्रम की शर्त के साथ 1,000/- रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनायी।

3. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है-

3 और 4 जुलाई, 1991 की मध्यरात्रि में लगभग 12.00 बजे ग्राम खांडाखेड़ी में किशनलाल (इसके बाद जिन्हें मृतक संदर्भित किया गया है) उनकी पत्नी संपतबाई और बेटी के प्रेमलताबाई अपने घर के अंदर सो रही थीं। उसी क्षण अपीलकर्ता और मृतक अभियुक्त जालू उर्फ जालमसिंह और किशोर आरोपी जीवन उनके घर पहुंचे। वे लकड़ी का दरवाजा तोड़ते हुए, गाली-गलोच करते हुए आंगन तक पहुंच गये। उन्होंने मृतक किशनलाल से कहा कि वे उसे अपनी भैंसों को उसके खेत से ले जाने की अनुमति नहीं देंगे और मृतक से पूछा कि उसने तहसील/राजस्व न्यायालय में शिकायत क्यों की? उन्होंने उसे ख़त्म करने की धमकी भी दी।यह सब कहते हुए, अपीलकर्ता मदन और कमल ने किशनलाल के दोनों हाथ पकड़ लिए ओर उसे दीवार के पास फेंक दिया, उसके बाद उसके साथ लाठी से मारपीट की। मृतक किशनलाल (पीडब्लू-2) की पत्नी संपतबाई मदद के लिए रो पड़ीं। उसने और उसकी बेटी प्रेमलता (पीडब्लू-1) ने बचाने की कोशिश

की मृतक लेकिन दोनों पर लाठियों से हमला किया गया। जब उमरावबाई (पीडब्लू-3) ने मृतक को बचाने की कोशिश की तब उस पर मृतक आरोपी जालू उर्फ जालमसिंह द्वारा हमला किया गया था। बाबूलाल (पीडब्लू-7) चीख-पुकार सुनकर वह वहां पहुंचा तो उसके साथ भी आरोपी व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई। जब रामसिंह (पीडब्लू-8) और प्रेमसिंह (पीडब्लू-9) पहुंचे, अपीलकर्ता भाग गए। मृतक बेहोश हो गया- होश आया और पुलिस स्टेशन ले जाते समय उसकी मौत हो गई। प्रेमलता (पीडब्लू-1), संपतबाई, उमरावबाई, बाबूलाल, प्रेमसिंह ग्राम चौकीदार अनारसिंह के साथ सुबह चार बजे थाने पहुंच गये और रिपोर्ट (प्रदर्श-पी1) दर्ज की जिसे SHO (पीडब्लू-12) नंदलाल ने दर्ज किया । घायल लोगों को जांच एवं उपचार हेतु भेजा गया ।उनकी मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श-पी24 से प्रदर्श पी-28 हैं। जांच रिपोर्ट (एक्स.पी-11) तैयार करने के बाद किशनलाल के शव को अस्पताल भेजा गया और पोस्टमॉर्टम कराया गया। डॉ. ए.एस. राणा (पीडब्लू-13) के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया तथा जिन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-पी.29) को जारी किया। अनुसंधान अधिकारी ने नक्शा मौक (प्रदर्श पी.- 2) और जमीन पर लगे खून के धब्बे, नियंत्रक, लाठियों के टुकड़े की जब्ती जरिये प्रदर्श पी 3 की। घटनास्थल से चूडियों के टुकड़े, घड़ी के कांच के टुकड़े ओर छत की टाइलों को जरिये फदर् जब्ती प्रदर्श पी 04 जब्त किया गया। पटवारी गोविंदराम (पीडब्लू-6) ने नक्शा मौका (प्रदर्श पी-10) तैयार किया। गिरफ्तारी के बाद प्रकटीकरण बयान पर आरोपी व्यक्ति की लाठियां जब्त कर ली गयीं और जब्त की गयी वस्तुओं को कवरिंग लेटर (प्रदर्श पी-23) के साथ एफएसएल सागर को भेज दिया गया। डॉ. राणा जी ने भी जब्त की गई लाठियों की जांच के बाद रिपोर्ट (एक्स.पी.-30) दी।जांच पूरी होने पर अपीलकर्ता और मृतक आरोपी जालू उर्फ जालम के विरूद्ध विद्वान जे.एम.एफ.सी., सांवर के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया और विचारण न्यायालय के निर्देश के अनुसार

किशोर आरोपी जीवन के विरूद्ध किशोर न्यायालय क समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया क्योंकि वह सोलह साल से कम का पाया गया। दौराने विचारण अभियुक्त जालू उर्फ जालमसिंह की मृत्यु हो गई, इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही उपशमन की गयी।

अपीलार्थियों ने आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने बचाव में तीन गवाहों को परीक्षित कराया जबकि अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों को परीक्षित कराया और 31 दस्तावेज़ी साक्ष्य के रूप में पेश किए। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी पाया, उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध घोषित किया गया।

उच्च न्यायालय के समक्ष जो पक्ष रखा गया वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का था। यह बताया गया कि मृतक ओर अभियोजन पक्ष के गवाह हमलावर थे। एेसी किसी घटना में, जब अपीलार्थियों ने हमला किया था, तब निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में वे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 96 और 97 के तहत अपवाद का लाभ पाने के हकदार हैं। हाई कोर्ट ने उक्त पक्ष को खारिज किया और दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

4: अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिकांश चोटें गैर-महत्वपूर्ण भागों पर थीं। यह स्थापित किया गया है कि उसी घटना में अपीलार्थियों के भी चोटें लगी हैं। उच्च न्यायालय ने आपराधिक दण्ड प्रक्रिया, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 386 (बी)(ii) के तहत अपीलीय शक्ति का प्रयोग किया और विचारण न्यायालय के पैरा 27 में जो निष्कर्ष था उसे परिवर्तित कर दिया कि अपीलकर्ता भी उसी घटना में घायल हुए थे जिसमें मृतक और घायल हुए गवाहों पर हमला किया गया ओर यह अभिनिर्धारित किया गया कि बचाव पक्ष के स्वयं के कहे अनुसार अपीलार्थियों को भी अपीलार्थी कमल के घर पर चोटें आयीं। संक्षेप में, यह इंगित किया गया कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय को निजी सुरक्षा के अधिकार के प्रयोग की याचिका मान लेनी चाहिए थी ।

5. दूसरी ओर प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि सिर पर चोट थी, हालांकि कोई फ्रैक्चर नहीं था और बाकी चोटें शरीर के गैर महत्वपूर्ण हिस्सों पर थे। फिर भी, आरोपी अपीलार्थियों के स्वयं के कहे अनुसार भी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का कोई प्रश्न ही नहीं था।

6. निजी बचाव के अधिकार की दलील अनुमान और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकती।यह विचार करते हुए कि क्या यह सही है कि क्या किसी अभियुक्त के लिए निजी बचाव का अधिकार उपलब्ध है, यह प्रासंगिक नहीं है कि उसे हमलावर पर गंभीर और घातक चोट पहुंचाने का मौका मिल सकता है या नहीं। यह पता लगाने के लिए कि क्या निजी प्रतिरक्षा का अधिकार एक आरोपी के लिए उपलब्ध है, पूरी घटना की सावधानी से जांच की जानी चाहिए। अनुभाग 97 आईपीसी की धारा निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की विषय-वस्तु से संबंधित है। अधिकार की याचिका में (i) किसी व्यक्ति का शरीर या संपत्ति शामिल है- अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति; या (ii) किसी अन्य व्यक्ति का; और अधिकार का प्रयोग शरीर के विरुद्ध या किसी भी अवैध अतिक्रमण, चोरी, डकैती, उत्पात के आपराधिक अपराधों के मामले में और सम्पत्ति के संबंध में ऐसे अपराध करने का प्रयास करने के मामले में किया जा सकता है, आईपीसी की धारा 99 निजी अधिकार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। कुछ अपराधों और कृत्यों में भादंसं की धारा 96 और 98 निजी प्रतिरक्षा का अधिकार देती है। भादंसं की धारा 96 से 98 और 100 से 106 धारा के तहत दिया गया अधिकार धारा 99 भादंसं के तहत नियंत्रित होता है। मृत्यु का कारण बनने वाली परिस्थितियों में निजी रक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए अभियुक्त को यह दिखाना होगा कि एेसी परिस्थितियां निर्मित हो गयी थीं जो इस आशंका के लिए उचित आधारों को जन्म देती हैं कि या तो उसकी मृत्यु हो जायेगी या उसे गम्भीर चोट लगेगी। अभियुक्त पर यह दिखाने का भार है कि उसे

मृत्यु कारित करने वाली परिस्थितियों में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार था। भादंसं की धारा 100 और 101 निजी अधिकार की सीमा और उल्लंघन को परिभाषित करती है।

7. भादंसं की धारा 102 और 105 शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार की संतुष्टि ओर निरंतरता से संबंधित हैं।अधिकार तब लागू होता है जब किसी प्रयास या धमकी या अपराध किये जाने से शरीर के लिए खतरे की सक्षम आशंका उत्पन्न होती है, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि उचित आशंका न हो। यह अधिकार तब तक कायम रहता है जब तक शरीर पर खतरे की आशंका बनी रहती है।जय देव बनाम पंजाब राज्य में (AIR 1963 SC 612) यह देखा गया कि जैसे ही उचित आशंका का कारण समाप्त हो जाता है और खतरे को या तो नष्ट कर दिया गया है या वहां से हटा दिया गया है तब निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं हो सकता।

8. उपरोक्त स्थिति को रिज़ान व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, मुख्य सचिव के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर, छत्तीसगढ़ (2003 (2) एससीसी 661), और सुचा सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य (2003(7) एससीसी 643) और राज पाल व अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2006 बी (9) सेकंड 678) में उजागर किया गया था।

9. उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थियों के अनुसार घटना अलग-अलग चरणों में दो जगहों पर हुई और मृतक के साथ मारपीट की घटना में और गवाह वहां मौजूद नहीं थे और उन्हें मृतक द्वारा चोटें कारित की गयीं और उनमें से कुछ घायल गवाहों को कमल के घर चोटें कारित की गयीं। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के पक्ष को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि वे अपने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन साथ ही साक्ष्य भी दर्शाते हैं कि अपीलार्थियों ने आपराधिक

अतिचार किया। इसलिए, वे पूर्व में किये गये कार्य के लिए अपवाद का लाभ लेते हुए निजी सुरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

10. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि साक्ष्य इस तथ्य पर प्रभावी हुआ है कि आरोपी अपीलार्थी कुछ स्तर तक अपनी संपत्तियों की सुरक्षा और बचाव के अधिकार का प्रयोग करने में प्रयासरत थे पर उसके बाद वे अधिकार से आगे निकल गए। इसलिए, यह एक एेसा मामला प्रतीत होता है जहां अपीलार्थियों को भादंसं की धारा 302 के तहत दोषी ठहराने के बजाय भादंसं की धारा 304 भाग 1 के अपराध के तहत दोषी ठहराना उचित होगा। 10 साल की अभिरक्षा की सजा न्याय के लक्ष्य को पूरा करेगी।

11. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

डी.जी.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी परवेज अहमद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।